[2022] 4 एस. सी. आर 406

गम्भीरदन के गढ़वी

वी.

गुजरात राज्य और ओ. आर. एस.

(2019 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 1525)

3 मार्च, 2022

[एम. आर. शाह और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

विश्वविद्यालयः कुलपति की नियुक्ति रिट ऑफ क्वो वारंट-रिट याचिका जिसमें आरोप लगाया गया है कि पात्रता मानदंडों को कम किया गया था और यू. जी. सी. विनियम, 2018 का उल्लंघन किया गया था-आयोजित किया गयाः होने के नाते

अधीनस्थ विधान, यू. जी. सी. विनियम अधिनियम का हिस्सा बन जाते हैं और राज्य विधान और केंद्रीय विधान के बीच किसी भी टकराव के मामले में, केंद्रीय विधान संविधान के Art.254 में प्रतिपादित तिरस्कार के नियम/सिद्धांत को लागू करके प्रबल होगा।

चूंकि 'शिक्षा' विषय समवर्ती सूची में है-योजना को अपनाने और केंद्र सरकार से रखरखाव व्यय का 80 प्रतिशत स्वीकार करने के बाद और जब प्रतिवादी संख्या 4 को 5,000/- रुपये प्रति माह के विशेष भत्ते के साथ Rs.75,000/- का एक निश्चित वेतन दिया जाता है, तो राज्य और उसके तहत विश्वविद्यालय यू. जी. सी. विनियमों, जिसमें यू. जी. सी. विनियम, 2018 शामिल हैं, से बाध्य होते हैं। प्रत्यर्थी संख्या 4 को एक खोज समिति द्वारा नियुक्त किया गया है, जिसका गठन यू. जी. सी. विनियम, 2018 के अनुसार नहीं किया गया है और यह यू. जी. सी. विनियम, 2018 के अनुसार पात्रता मानदंडों को भी पूरा नहीं करता है, अर्थात्, विश्वविद्यालय प्रणाली में प्रोफेसर के रूप में दस साल का शिक्षण कार्य अनुभव होना-प्रत्यर्थी संख्या 4 की प्रत्यर्थी संख्या 2-विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्ति, यू. जी. सी. के प्रावधानों के विपरीत है, अर्थात्, यू. जी. सी. विनियम, 2018-एस. पी. विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में प्रत्यर्थी संख्या 4 की नियुक्ति को रद्द करने और अलग करने के लिए जारी किया गया यथास्थिति वारंट-यू. जी. सी. विनियम, 2010/2018-शासन। 7.3. 0 - भारत के संविधान का लिखित आदेश-Art.254।

विश्वविद्यालयः विश्वविद्यालय स्वायत्त होते हैं और कुलपति एक उच्च शिक्षा संस्थान का प्रमुख होता है-मानदंडों के अनुसार, उसे एक प्रख्यात शिक्षाविद, उत्कृष्ट प्रशासक और उच्च नैतिक कद वाला व्यक्ति भी होना चाहिए। राधाकृष्णन आयोग, कोठारी की उक्त रिपोर्ट

आयोग, ज्ञानम समिति और रामलाल पारिख समिति ने

406 गम्भीरदन के. गढ़वी बनाम। गुजरात राज्य और ओ. आर. एस.

कुलपति की भूमिका के महत्व पर प्रकाश डाला

विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता और प्रासंगिकता को बनाए रखना, इसके विकास और विकास के अलावा, समय-समय पर बहुत आवश्यक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए-इन समितियों ने उक्त पद के लिए सही व्यक्ति की पहचान करने के लिए सुझाव और सिफारिशें भी की हैं-एक कुलपति विश्वविद्यालय की प्रणाली का प्रमुख तत्व और विश्वविद्यालय की अंतरात्मा का रक्षक होता है -

इसके अलावा, खोज/चयन समिति कुलपति के चयन में महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है; फिर भी विश्वविद्यालयों में चयनित कुलपति का प्रदर्शन विश्वविद्यालय से अलग होता है।

विश्वविद्यालय को-इसलिए, खोज समिति के सदस्य, जिन्हें कुलपति की नियुक्ति के लिए नाम चुनने और सुझाव देने का विशेषाधिकार और सम्मान दिया जाता है, वे विश्वविद्यालय की उपलब्धि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होते हैं।

सरदार पटेल विश्वविद्यालय अधिनियम, 1955-एस. एस. . 9 9 , , 10 10 – गुजरात के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं और वे, गुण द्वारा,

अपने पद के लिए, विश्वविद्यालय के प्रमुख और सीनेट के अध्यक्ष बनें-विश्वविद्यालय के प्रमुख के रूप में, उनकी सलाह इस पर बाध्यकारी है

विश्वविद्यालय-विश्वविद्यालय।

रिट याचिका को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 एक जारी करने के लिए उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र

रिट ऑफ क्वो वारंट एक सीमित वारंट है, जो केवल तभी जारी किया जा सकता है जब सार्वजनिक पद धारण करने वाला व्यक्ति ऐसे कार्यालय में नियुक्त होने के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है या जब -

नियुक्ति वैधानिक नियमों के विपरीत है। [पैरा 9.1] [423-एच; 424-ए]

राजेश अवस्थी बनाम। नंद लाल जयसवाल और अन्य। , (2013) 1

एस. सी. सी. 501 [2012] 10 एस. सी. आर. 883; सेवानिवृत्त। सशस्त्र बल

मेडिकल एसोसिएशन और ओआरएस। वी. भारत संघ और अन्य। ,

(2006) 11 एससीसी 731: 2006 (10) स्केल 224-निर्भर

पर। 1.2 यू. जी. सी. अधिनियम, 1956 का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था -

विश्वविद्यालयों में मानकों का समन्वय और निर्धारण और उस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना करना। धारा 12 "आयोग के कार्यों" से संबंधित है, जबकि धारा 14 "[2022] 4 एस. सी. आर. का पालन करने में विश्वविद्यालयों की विफलता के परिणाम" की बात करती है।

आयोग की सिफारिशों के साथ "। धारा 26 "विनियम बनाने की शक्ति" से संबंधित है। धारा 28 के अनुसार, यू. जी. सी. अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों और विनियमों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना आवश्यक है और जब दोनों सदन सहमत हो जाते हैं तो नियमों और विनियमों को संसद द्वारा किए गए संशोधन के साथ प्रभावी किया जा सकता है। इसलिए, धारा 26 के तहत शक्तियों के प्रयोग में अधिनियमित कोई भी विनियमन कर सकता है

अधीनस्थ विधान कहल जाय। [पैरा 11.2] [424-ई-जी]

2. भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली द्वारा

छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के सचिव को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली में शिक्षकों और समकक्ष संवर्गों के वेतन में संशोधन की योजना के बारे में सूचित किया गया। उक्त पत्र द्वारा, भारत सरकार ने निर्देश दिया कि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के संबंध में केवल तीन पद होंगे और

महाविद्यालय, अर्थात् सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर। उक्त पत्र में शिक्षकों और समकक्षों के लिए संशोधित वेतनमान, सेवा शर्तों और कैरियर उन्नति योजना में संशोधन किया गया है।

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर के पद सहित पदों की जानकारी दी गई थी। इसमें प्रो-वाइस चांसलर/वाइस चांसलर के वेतनमान का भी उल्लेख किया गया था। यह सूचित किया गया कि उक्त योजना का विस्तार राज्य विधानमंडल के दायरे में आने वाले विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों तक किया जा सकता है, बशर्ते कि राज्य सरकारें इसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन योजना को अपनाना और लागू करना चाहती हों। भारत सरकार द्वारा दिनांक आई. डी. 1 को जारी किए गए उपरोक्त पत्र को ध्यान में रखते हुए और यू. जी. सी. अधिनियम, 1956 की धारा 26 की उप-धारा (1) के खंड (ई) और (जी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यू. जी. सी. ने यू. जी. सी. विनियम, 2000 के स्थान पर विनियम, 2010 को अधिनियमित किया। विनियमन

7.3. 0 कुलपति के पद से संबंधित है। यू. जी. सी. विनियम, 2010, अन्य बातों के साथ-साथ विनियम 7.3 में निर्धारित करता है। 0 कि एक व्यक्ति को गम्भीरदन के गढ़वी बनाम में प्रोफेसर के रूप में शिक्षण कार्य का दस साल का अनुभव होगा।

समिति में आगंतुक/कुलाधिपति का एक नामित व्यक्ति, यू. जी. सी. के अध्यक्ष का एक नामित व्यक्ति, विश्वविद्यालय के सिंडिकेट/कार्यकारी परिषद का एक नामित व्यक्ति और खोज समिति शामिल होती है। सफल उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करनी होती है। [पैरा 11.3-11.3। 3] [425 - ए-जी; 426-जी-एच]

3.1 यू. जी. सी. विनियम, 2010 के अधिनियमन से पहले, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक योजना निर्धारित की थी

छठे केंद्रीय वेतन आयोग के बाद विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और समकक्ष संवर्गों के वेतन में संशोधन। यह योजना कुलपतियों को 5,000/- रुपये प्रति माह के विशेष भत्ते के साथ-साथ 1,000/- रुपये का एक निश्चित वेतन प्रदान करती है। उक्त योजना के पैरा 8 (पी) (वी) में प्रावधान है कि इसका विस्तार राज्य विधानमंडल के दायरे में आने वाले विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों तक किया गया है बशर्ते कि राज्य सरकारें कुछ शर्तों के साथ योजना को अपनाना और लागू करना चाहती हों, अन्य बातों के साथ-साथ, रखरखाव व्यय के 80 प्रतिशत तक केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता और शेष 20 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा। यह आगे यह प्रावधान करता है कि केंद्रीय सहायता का भुगतान

योजना को लागू करना इस शर्त के अधीन है कि

यू. जी. सी. द्वारा विनियमों और अन्य दिशा-निर्देशों के माध्यम से निर्धारित की जाने वाली शर्तों को राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों द्वारा बिना किसी संशोधन के लागू किया जाएगा। [पैरा 11.4] [427-ए-डी] 3.2 वर्तमान मामले में, गुजरात राज्य ने उक्त योजना दिनांक 31.12.2008 को एक प्रस्ताव दिनांक 11.11.2009 द्वारा अपनाया है।

उल्लिखित शर्तों के अधीन 01.01.2006 से प्रभावी उक्त संकल्प में। यहां तक कि उक्त प्रस्ताव में, शर्त No.13 में प्रावधान है कि राज्य सरकार समय-समय पर प्रकाशित यू. जी. सी. के निर्देशों और गुणवत्ता मानदंड, शिक्षण कार्य दिवसों, मानदंडों के अनुसार शैक्षिक योग्यताओं को प्रकाशित करेगी।

निर्देश, संकल्पों को लागू करना होगा। इस बात में कोई विवाद नहीं है कि एस. पी. विश्वविद्यालय को केंद्रीय वित्तीय सहायता मिल रही है।

योजना के तहत सहायता और यह राज्य [2022] 4 एस. सी. आर. में शामिल है।

धारा के अनुसार केंद्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय

12 ((ख) यू. जी. सी. अधिनियम, 1956। इसलिए, यू. जी. सी. योजना को अपनाने और उसे लागू करने और रखरखाव व्यय के 80 प्रतिशत तक केंद्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बाद, राज्य सरकार और एस. पी. विश्वविद्यालय यू. जी. सी. विनियम, 2010 द्वारा बाध्य हैं। यू. जी. सी. विनियम, 2010 को यू. जी. सी. विनियम, 2018 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। हालांकि, कुलपति के पद के लिए पात्रता मानदंड और कुलपति की नियुक्ति के लिए खोज समिति का गठन समान है। इसलिए, गुजरात राज्य और उसके तहत आने वाले विश्वविद्यालयों में एस. पी. विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। यू. जी. सी. विनियम, 2010 और यू. जी. सी. विनियम, 2018 का पालन करने के लिए बाध्य। [पैरा 11.4] [427-डी-जी]

4. प्रतिवादी संख्या 4 को एस. पी. यू. अधिनियम, 1955 के तहत एस. पी. विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया था। धारा 10

उक्त अधिनियम कुलपति के पद से संबंधित है। अधिनियम, 1955 की धारा 10 के अनुसार खोज समिति में दो सदस्य होंगे। सदस्य (जो प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय या किसी संबद्ध कॉलेज या मान्यता प्राप्त संस्थान से जुड़े व्यक्ति नहीं हैं) जिनमें से एक व्यक्ति सिंडिकेट और शैक्षणिक परिषद द्वारा क़ानून द्वारा निर्धारित तरीके से नामित किया जाएगा।

संयुक्त रूप से और दूसरा सभी राज्यों के कुलपतियों द्वारा संविधि द्वारा निर्धारित तरीके से नामित व्यक्ति होगा।

गुजरात राज्य में कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय और कुलाधिपति द्वारा नामित किया जाने वाला तीसरा सदस्य। एस. पी. यू. अधिनियम की धारा 10 में कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए कोई योग्यता प्रदान नहीं की गई है। यहां तक कि निर्धारित किए जाने वाले पात्रता मानदंड भी खोज समिति पर छोड़ दिए जाते हैं। खोज समिति द्वारा निर्धारित किए जाने वाले पात्रता मानदंडों पर कोई दिशा-निर्देश नहीं हैं। दूसरी ओर, यू. जी. सी. विनियम, 2010/2018 विशेष रूप से निर्धारित करता है

कुलपति पद के लिए योग्यता/पात्रता मानदंड। इसमें खोज समिति के गठन का भी प्रावधान है। जैसा कि विनियमन 7.3 के अनुसार ऊपर देखा गया है। 0 एक व्यक्ति के पास विश्वविद्यालय प्रणाली में एक प्रोफेसर के रूप में शिक्षण कार्य का दस साल का अनुभव होगा और इसमें आगंतुक/कुलाधिपति के एक नामांकित व्यक्ति, एक शोध समिति के गठन का भी प्रावधान है।

गुजरात राज्य और ओ. आर. एस.

यू. जी. सी. के अध्यक्ष का नामित व्यक्ति, विश्वविद्यालय के सिंडिकेट/कार्यकारी परिषद का नामित व्यक्ति। लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 4 ने किया

यू. जी. सी. विनियम, 2010/2018 के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता/नहीं करता है। उनके पास विश्वविद्यालय प्रणाली में प्रोफेसर के रूप में शिक्षण कार्य का दस साल का अनुभव था/नहीं है। इसके अलावा, उनके नाम की कानूनी रूप से सिफारिश नहीं की गई थी यू. जी. सी. विनियमों, 2010/2018 के अनुसार गठित खोज समिति। इसके अलावा, खोज समिति ने यू. जी. सी. में निर्धारित पात्रता मानदंडों को कम करके कुलपति पद के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए हैं।

इसके ऊपर, राज्य सरकार और के लिए बाध्यकारी हैं बिनि सिङाव मुलुगसोलोंसालिफोर दं। यहां तक कि राज्य सरकार ने भी यू. जी. सी. विनियमों के बराबर रखने के लिए राज्य के कानून में संशोधन करने की जहमत नहीं उठाई है और विश्वविद्यालयों में यू. जी. सी. विनियमों के तहत नियुक्तियों को जारी रखा है। [पैरा 12

-

12.2] [427 - एच; 429-बी-एच; 430-ए]

5. योजना को अपनाकर और 80 प्रतिशत स्वीकार करके

केंद्र सरकार से रखरखाव व्यय और जब प्रत्यर्थी संख्या 4 को 5,000/- रुपये प्रति माह के विशेष भत्ते के साथ, जो 2008 की योजना के अनुसार निर्धारित किया गया है, Rs.75,000/- का एक निश्चित वेतन दिया जाता है, तो राज्य और

इसके तहत विश्वविद्यालय यू. जी. सी. विनियम, 2018 सहित यू. जी. सी. विनियमों से बाध्य हैं। की नियुक्ति

प्रतिवादी संख्या 4 खोज समिति द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार भी नहीं है। वास्तव में, तत्काल मामले में, गुजरात के महामहिम राज्यपाल, जो उक्त राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं, ने अपने प्रधान सचिव के माध्यम से निर्देश दिया था कि सचिव, विश्वविद्यालय से संचार अनुदान आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली, दिनांक 11 अगस्त, 2014 का अनुपालन किया जाए और इस संबंध में उचित कदम उठाए जाएं। इस न्यायालय ने 30 अगस्त, 2014 के उपरोक्त पत्र का उल्लेख किया है। यू. जी. सी. के सचिव द्वारा 11 अगस्त, 2014 को गुजरात के राज्यपाल को लिखे पत्र में "विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता [2022] 4 एस. सी. आर". शीर्षक वाले विनियमों के बारे में सूचित किया गया है।

और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए उपाय, 2010 "भी उक्त पत्र में ऊपर निकाले गए हैं। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यू. जी. सी. ने कुलपतियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की है और इसलिए ऐसी नियुक्ति विश्वविद्यालय के उपरोक्त नियमों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार होनी चाहिए। यूजीसी। यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी-गुजरात राज्य यू. जी. सी. के संचार पर ध्यान देने में विफल रहा है और इसके बजाय प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करने के लिए खोज समिति की इच्छा पर छोड़ दिया है। यू. जी. सी. द्वारा अपने विनियमों के तहत एक बार निर्धारित किए जाने पर पात्रता मानदंड उन सभी विश्वविद्यालयों पर लागू होंगे जो यू. जी. सी. द्वारा सहायता प्राप्त हैं और उक्त विनियमों के अभाव में भी बाध्य हैं।

संबंधित राज्यों के संबंधित विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत निगमित। इसलिए, जब प्रत्यर्थी संख्या 4 की नियुक्ति यू. जी. सी. विनियम, 2018 के विपरीत पाई जाती है और यू. जी. सी. विनियमों में वैधानिक बल होता है, तो यह यथास्थिति वारंट जारी करने और प्रत्यर्थी संख्या 4 की नियुक्ति को रद्द करने के लिए एक उपयुक्त मामला है।

एसपी विश्वविद्यालय। [पैरा 15] [434-एच; 435-ए-एच; 436-ए-सी]

6. यह विवादित नहीं हो सकता है कि यू. जी. सी. विनियम हैं

अधीनस्थ विधान, यू. जी. सी. विनियम अधिनियम का हिस्सा बन जाते हैं। राज्य के विधान और केंद्रीय विधान के बीच किसी भी टकराव के मामले में, केंद्रीय विधान अनुच्छेद 254 में प्रतिपादित तिरस्कार के नियम/सिद्धांत को लागू करके प्रबल होगा। 'शिक्षा' विषय के रूप में संविधान संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची (सूची III) में है। इसलिए, यू. जी. सी. विनियमों के प्रावधानों के विपरीत कुलपति के रूप में किसी भी नियुक्ति को वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कहा जा सकता है, जो एक रिट ऑफ क्वो वारंट की गारंटी देता है। [पैरा 16] [436-सी-ई] गम्भीरदन के गढ़वी बनाम।

गुजरात राज्य और ओ. आर. एस.

अन्नामलाई विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कुलसचिव बनाम।

सचिव, सरकार, सूचना और पर्यटन

विभाग और अन्य, (2009) 4 एससीसी 590: [2009] 3 एससीआर

355 ; कल्याणी मथिवनन बनाम। के. वी. जयराज एंड ओरस, (2015)

6 एस. सी. सी. 363 [2015] 3 एस. सी. आर. 467-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2009] 3 एससीआर 355

संदर्भित किया गया है

पैरा 3.7

[2015] 3 एससीआर 467

संदर्भित किया गया है

पैरा 3.7

[2012] 10 एससीआर 883

उस पर भरोसा करें

पैरा 9

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः लिखित याचिका (सिविल) सं।

1525 2019 से।

[भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत]

आई. एच. सैयद, वरिष्ठ अधिवक्ता। , वरिंदर कुमार शर्मा, शांतनु शर्मा,

पृथ्वी परिमल, सुश्री पारुल शर्मा, अधिवक्ता। याचिकाकर्ता के लिए।

विनय नवारे, वरिष्ठ अधिवक्ता। , रवींद्र दयानंद चिंगले, मनोज

रंजन सिन्हा, रामेश्वर प्रसाद गोयल, गौरव अग्रवाल, सुश्री रुचि कोहली, सुश्री सृष्टि मिश्रा, सुश्री दीपानविता प्रियंका, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस रिट याचिका द्वारा

भारत में याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 2 सरदार पटेल विश्वविद्यालय (जिसे इसके बाद "एस. पी". के रूप में संदर्भित किया गया है) के कुलपति के रूप में प्रत्यर्थी संख्या 4 की नियुक्ति को चुनौती देने वाले यथास्थिति वारंट के लिए अनुरोध किया है।

विश्वविद्यालय ") और प्रत्यर्थी द्वारा पारित 29.08.2019 दिनांकित No.GH/SH/76/SPY/122010/2626/KH-2 वाली अधिसूचना को रद्द करना और अलग करना।

नं. 1-गुजरात राज्य, प्रत्यर्थी नं. 4 को प्रत्यर्थी-एस. पी. विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त करता है। याचिकाकर्ता ने किसी अन्य उपयुक्त रिट, निर्देश और आदेश के लिए भी अनुरोध किया है जिसमें प्रतिवादी अधिकारियों को प्रतिवादी संख्या 4 से पूर्वव्यापी प्रभाव से वेतन तक सीमित सभी परिणामी लाभों की वसूली करने का निर्देश दिया गया है, जो उन्हें एस. पी. विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में उनकी अवैध नियुक्ति के कारण दिए गए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. याचिकाकर्ता की ओर से यह मामला है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (इसके बाद "यू. जी. सी". के रूप में संदर्भित) ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता पर यू. जी. सी. विनियम बनाए।

2.1 कि यू. जी. सी. विनियम, 2010 को बाद में यू. जी. सी. विनियम, 2018 के माध्यम से मामूली संशोधनों के साथ प्रतिस्थापित किया गया है जिसे नीचे संदर्भित किया जाएगा। 2.2 यह याचिकाकर्ता की ओर से आगे का मामला है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक योजना निर्धारित की

छठे केंद्रीय वेतन आयोग (जिसे इसके बाद "योजना" के रूप में संदर्भित किया गया है) के बाद विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और समकक्ष संवर्गों के वेतन में संशोधन। यह योजना कुलपतियों को 5,000/- रुपये प्रति माह के विशेष भत्ते के साथ-साथ 1,000/- रुपये का एक निश्चित वेतन प्रदान करती है।

उक्त योजना के पैरा 8 (पी) (वी) में प्रावधान है कि इसका विस्तार विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों तक किया गया है जो इस योजना के अंतर्गत आते हैं।

राज्य विधानमंडल की परिधि, बशर्ते राज्य सरकारें कुछ शर्तों के साथ योजना को अपनाना और लागू करना चाहती हों, अन्य बातों के साथ-साथ, रखरखाव व्यय के 80 प्रतिशत तक केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता और शेष 20 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा। योजना को लागू करने के लिए केंद्रीय सहायता का भुगतान इस शर्त के अधीन था कि यू. जी. सी. द्वारा विनियमों और अन्य दिशानिर्देशों के माध्यम से निर्धारित की जाने वाली सभी शर्तों के साथ वेतनमान में संशोधन की पूरी योजना को राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों द्वारा बिना किसी संशोधन के लागू किया जाएगा। याचिकाकर्ता के अनुसार, गुजरात राज्य ने योजना को अपनाने के लिए 11.11.2009 दिनांकित एक प्रस्ताव पारित किया। चूंकि इस योजना को अपनाया गया है, इसलिए यू. जी. सी. द्वारा बनाए गए सभी नियम गुजरात राज्य पर बाध्यकारी हैं, जिसमें प्रतिवादी-एस. पी. विश्वविद्यालय भी शामिल है। कि राज्य सरकार के साथ-साथ एस. पी. गम्भीरदन के. गढ़वी बनाम द्वारा योजना को अपनाने पर।

गुजरात राज्य और ओ. आर. एस.

[एम. आर. शाह, जे.]

उक्त विश्वविद्यालय को केंद्रीय वित्तीय सहायता मिल रही है

योजना के तहत और यू. जी. सी. अधिनियम, 1956 की धारा 12 (बी) के अनुसार केंद्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले राज्य विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल है। याचिकाकर्ता की ओर से यह मामला है कि जब से इस योजना को अपनाया गया है, यू. जी. सी. द्वारा बनाए गए सभी नियम एस. पी. विश्वविद्यालय सहित गुजरात राज्य के लिए बाध्यकारी हैं।

2.3 यू. जी. सी. ने एच. ई.-गुजरात के राज्यपाल को यू. जी. सी. के अनुपालन की मांग करते हुए दिनांक 11.08.2014 पर एक संचार को संबोधित किया।

गुजरात राज्य में कुलपतियों की नियुक्ति के संबंध में विनियम, 2010 उस महामहिम-गुजरात के राज्यपाल ने कुलपतियों की नियुक्ति के संबंध में यू. जी. सी. विनियम, 2010 का पालन करने के लिए गुजरात सरकार को दिनांक 1 के संचार के माध्यम से सूचित किया। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि गुजरात के महामहिम राज्यपाल, एस. पी. विश्वविद्यालय सहित राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति हैं।

2.4 याचिकाकर्ता की ओर से यह मामला है कि विनियमन 7.3 की अनदेखी की गई है। 0 यू. जी. सी. विनियमों के अनुसार, एक खोज समिति का गठन किया गया था

सरदार पटेल विश्वविद्यालय अधिनियम, 1955 (इसके बाद "एस. पी. यू. अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 10 (2) (बी) के तहत यू. जी. सी. के अध्यक्ष के किसी भी नामित व्यक्ति के बिना। याचिकाकर्ता के अनुसार,

धारा 10 (2) (बी) के अनुसार, खोज समिति के पास केवल उपयुक्त उम्मीदवारों के पैनल की सिफारिश करने का अधिकार है। खोज समिति, में

वर्तमान मामला, अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर गया और यू. जी. सी. विनियम, 2010 में निर्धारित पात्रता मानदंडों को कम करके कुलपति पद के लिए अपने स्वयं के पात्रता मानदंड निर्धारित किए। उस प्रत्यर्थी संख्या 2 ने खोज समिति द्वारा निर्धारित उपरोक्त पात्रता मानदंडों का उल्लेख करते हुए कुलपति के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन जारी किया। इसके बाद राज्य ने नियुक्ति की अधिसूचना जारी की प्रत्यर्थी संख्या 4 अपने तीन साल के पहले कार्यकाल के लिए एस. पी. विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में। याचिकाकर्ता के अनुसार प्रतिवादी संख्या 4 को प्रोफेसर के रूप में दस साल की अवधि के लिए शिक्षण कार्य का अनुभव नहीं था, जो यू. जी. सी. विनियम, 2010 के अनुसार अनिवार्य है। उस प्रत्यर्थी संख्या 4 को यहाँ 08.03.2008 से प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत किया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार हालांकि प्रतिवादी

संख्या 4 में पात्रता की कमी थी, उन्हें कुलाधिपति के रूप में Rs.75,000/- के निश्चित वेतन पर नियुक्त किया गया था जो कि संशोधित योजना परिशिष्ट I दिनांक 31.08.2008 के अनुसार है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2.5 कि याचिकाकर्ता ने 2017 का विशेष सिविल आवेदन (एस. सी. ए.) No.18922 दाखिल करके उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 4 की उक्त नियुक्ति को चुनौती दी। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने दिनांक 05.07.2018 के निर्णय और आदेश द्वारा उक्त एस. सी. ए. को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यू. जी. सी. विनियमों को लागू नहीं किया गया था।

गुजरात राज्य द्वारा अपनाया गया और इस प्रकार प्रतिवादी विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी नहीं था। एस. सी. ए. को खारिज करते हुए और विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर प्रतिवादी संख्या 4 की नियुक्ति को बरकरार रखते हुए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने एस. पी. यू. अधिनियम की धारा 10 का उल्लेख किया, जो कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए किसी भी योग्यता का प्रावधान नहीं करती है। की डिवीजन बेंच

उच्च न्यायालय ने कहा कि इस तरह की स्थिति नियुक्ति के लिए व्यक्तियों के चयन के मामले में बहुत अधिक मनमानेपन के लिए जगह छोड़ देगी

उचित रूप से संशोधित। कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने यू. जी. सी. द्वारा गुजरात के महामहिम राज्यपाल को संबोधित दिनांक 11.08.2014 के संचार को भी नोट किया। उक्त संचार द्वारा यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था कि राज्य में कुलपतियों की सभी नियुक्तियां यू. जी. सी. विनियमों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार की जाएं। उक्त विनियम, अन्य बातों के साथ-साथ, विनियम 7.3 में कुलपति की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता प्रदान करते हैं। 0 . उच्च न्यायालय ने नोट किया कि महामहिम के प्रधान सचिव-कुलाधिपति ने प्रधान सचिव को दिनांक 30.08.2014 को संबोधित किया था, गुजरात सरकार ने उनसे उक्त महत्वपूर्ण संचार पर ध्यान देने और सरकारी स्तर पर आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया, लेकिन राज्य द्वारा इसकी अनदेखी की गई और इसके अनुसार कोई कदम नहीं उठाए गए। इसलिए, उच्च न्यायालय ने कहा कि यह सही समय है

गुजरात राज्य यू. जी. सी. विनियमों को अपनाता है और राज्य के कानून में उचित संशोधन करता है ताकि किसी भी हेरफेर के लिए कोई जगह न बचे।

मनमानी, भाई-भतीजावाद और पक्षपात। इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि उच्च न्यायालय द्वारा पैरा 24 में की गई उपरोक्त टिप्पणियों के बावजूद, राज्य सरकार द्वारा यू. जी. सी. विनियमों को अपनाने और राज्य के विधान में उचित संशोधन करने के लिए आगे कोई कदम नहीं उठाए गए हैं।

2.6 एस. पी. विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर प्रत्यर्थी संख्या 4 की नियुक्ति को बरकरार रखते हुए, एस. सी. ए. No.18922/2017 को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, याचिकाकर्ता ने गम्भीरदन के. गढ़वी बनाम के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका (एस. एल. पी.) को प्राथमिकता दी।

गुजरात राज्य और ओ. आर. एस.

[एम. आर. शाह, जे.]

इस न्यायालय ने एसएलपी (सी) No.21792/2018 दाखिल किया। उक्त एसएलपी 30.07.2019 पर अंतिम सुनवाई के लिए इस न्यायालय के समक्ष आई। हालाँकि, जब तक उक्त एसएलपी की सुनवाई हो सकी, तब तक प्रतिवादी संख्या 4 के पहले कार्यकाल में केवल एक महीना बचा था, इसलिए, इस न्यायालय ने मामले में हस्तक्षेप नहीं किया।

प्रत्यर्थी संख्या 4 की नियुक्ति और दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से इसका निपटारा किया गया; हालाँकि, इस न्यायालय ने विशेष रूप से कहा कि कानून के सभी प्रश्नों को खुला छोड़ दिया गया है।

2.7 कि इसके बाद एक विज्ञापन दिनांक 12.06.2019 प्रकाशित किया गया था, जिसमें कुलाधिपति के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे प्रतिवादी संख्या 2-एस. पी. विश्वविद्यालय। याचिकाकर्ता के अनुसार फिर से खोज समिति का गठन यू. जी. सी. नियमों के अनुसार नहीं किया गया था। उक्त विज्ञापन में याचिकाकर्ता के अनुसार खोज

सं. 4, जहाँ तक यह कहा गया है कि वे व्यक्ति जो एक कार्यकाल के लिए कुलपति रहे हैं, पात्र हैं। कि इसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 4 एस. पी. विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में फिर से नियुक्त

अधिसूचना दिनांक 29.08.2019 तीन साल की और अवधि के लिए। याचिकाकर्ता की ओर से यह मामला है कि प्रतिवादी संख्या 4 को एस. पी. विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त करने वाली विवादित अधिसूचना पूरी तरह से अवैध है और यू. जी. सी. विनियम, 2010 और यू. जी. सी. का उल्लंघन है। विनियम, 2018। इसलिए, वर्तमान रिट याचिका को एस. पी. विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में प्रतिवादी संख्या 4 की नियुक्ति को चुनौती देने वाले रिट ऑफ क्वो वारंट के लिए प्राथमिकता दी गई है।

2.8 याचिकाकर्ता की ओर से यह मामला है कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ का पूर्व निर्णय विशेष दीवानी आवेदन में पारित किया गया था

No.18922/2017 याचिकाकर्ता के रास्ते में आ सकता है और अगर फिर से याचिकाकर्ता अनुच्छेद के तहत एक रिट याचिका दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है 226 भारत का संविधान। ऐसा इसलिए है क्योंकि याचिकाकर्ता को एस. सी. ए. No.18922/2017 में पारित उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले का सामना करना होगा, जिसे हालांकि इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है,

एस. सी. ए. No.18922/2017 में उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश की वैधता और/या शुद्धता पर विचार किए बिना इसका निपटारा किया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब तक मामले की सुनवाई हुई, तब तक प्रतिवादी संख्या 4 की केवल एक महीने की सेवा बची थी और एसएलपी का निपटारा करते समय, इस न्यायालय द्वारा यह देखा गया था कि कानून के सभी प्रश्नों को खुला छोड़ दिया गया है। इसलिए, याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस रिट याचिका को प्राथमिकता दी है। इसलिए, यह [2022] 4 एस. सी. आर. से प्रार्थना की जाती है।

वर्तमान रिट याचिका पर विचार करें और मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में गुण-दोष के आधार पर उस पर विचार करें।

3. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आई. एच. सैयद ने जोरदार ढंग से कहा है कि प्रत्यर्थी संख्या 4 की एस. पी. विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्ति पूरी तरह से अवैध है और यू. जी. सी. द्वारा जारी वैधानिक दिशानिर्देशों के विपरीत है।

यू. जी. सी. के दिशानिर्देश। 3.2 यह याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए श्री सैयद विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि प्रासंगिक समय पर जब उनका पहला

उनके पास प्रोफेसर के रूप में दस साल का अनुभव नहीं था जो यू. जी. सी. के दिशानिर्देशों के साथ-साथ खोज समिति द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार अनिवार्य रूप से आवश्यक था। 3.3 याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सैयद ने आगे तर्क दिया कि वर्तमान मामले में तलाशी

गठित समिति कानूनी और वैध नहीं थी। यह आग्रह किया जाता है कि यू. जी. सी. के दिशानिर्देशों के अनुसार, जो राज्य और विश्वविद्यालय बाध्य थे, खोज समिति के सदस्यों में से एक को यू. जी. सी. का अध्यक्ष और/या उसका नामित होना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में गठित खोज समिति में यू. जी. सी. के अध्यक्ष और/या उनके नामित व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए, इस तरह की अवैध खोज समिति द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 की नियुक्ति पूरी तरह से अवैध और वैधानिक प्रावधानों के विपरीत है और इसलिए, इसे रद्द करने और यथास्थिति वारंट जारी करके अलग करने की आवश्यकता है।

3.4 याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सैयद ने आगे कहा कि वर्तमान मामले में खोज समिति ने भी कुलपति पद के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए हैं। कि एस. पी. यू. अधिनियम कुलपति के पद के लिए कोई पात्रता मानदंड प्रदान नहीं करता है और/या निर्धारित नहीं करता है जो इस प्रकार है -

जहाँ तक विश्वविद्यालय का संबंध है, बहुत महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित पद है। कि यहां तक कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने भी फैसले के पैराग्राफ 24 में मुकदमे के पहले दौर में विशेष रूप से राज्य गम्भीरदन के गढ़वी बनाम की आलोचना की थी।

गुजरात राज्य और ओ. आर. एस.

[एम. आर. शाह, जे.]

यू. जी. सी. विनियम, 2010 के अनुरूप कुलपति की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित/प्रदान नहीं करने के लिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने यह सुनिश्चित करने के लिए गुजरात के महामहिम राज्यपाल को संबोधित दिनांक 1 के संचार को भी नोट किया है कि राज्य में कुलपतियों की सभी नियुक्तियां यू. जी. सी. विनियमों/दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार की जाती हैं जो विनियम 7.3 के अनुसार कुलपति की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता प्रदान करते हैं। 0 यू. जी. सी. विनियम, 2010 और यह भी नोट किया कि यहां तक कि गुजरात के महामहिम राज्यपाल ने भी राज्य सरकार को दिनांकित 30.08.2014 पर एक संचार को संबोधित किया ताकि दिनांकित 11.08.2014 पर ध्यान दिया जा सके और आवश्यक कदम उठाए जा सकें।

सरकारी स्तर पर। इसके बाद उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचार की अनदेखी की गई है और उसके अनुसार कोई कदम नहीं उठाए गए हैं और इसलिए, यह उचित समय है कि राज्य सरकार यू. जी. सी. विनियमों को अपनाए और राज्य के कानून में उचित संशोधन करे ताकि हेरफेर, मनमानेपन, भाई-भतीजावाद और पक्षपात के लिए कोई जगह न बचे। कि उपरोक्त के बावजूद और उसके बाद भी राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान में संशोधन के लिए आगे कोई कदम नहीं उठाया गया है।

3.5 याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सैयद द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि योजना को अपनाकर दिनांकित किया गया है।

31.12.2008 यू. जी. सी. द्वारा बनाए गए सभी विनियम एस. पी. विश्वविद्यालय सहित राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी होंगे। वह यू. जी. सी. विनियम, 2010, जो अन्य बातों के साथ-साथ विनियम 7.3 में विहित है। 0 कि एक व्यक्ति के पास विश्वविद्यालय प्रणाली में प्रोफेसर के रूप में शिक्षण कार्य का दस साल का अनुभव होगा। यह खोज समिति के गठन का भी प्रावधान करता है, जिसमें आगंतुक/कुलाधिपति का एक नामित व्यक्ति, यू. जी. सी. के अध्यक्ष का एक नामित व्यक्ति, विश्वविद्यालय के सिंडिकेट/निष्पादन परिषद का एक नामित व्यक्ति शामिल होता है। कि ऐसी खोज समिति को सफल उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करनी होगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में प्रतिवादी संख्या 4 को नियुक्त किया गया था

दूसरे कार्यकाल के लिए कुलपति के रूप में, भले ही उन्होंने उक्त मानदंडों को पूरा नहीं किया हो।

3.6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 4 को भी भुगतान किया जा रहा था

5, 000/- रुपये के विशेष भत्ते के साथ Rs.75,000/- का निश्चित वेतन योजना दिनांक 31.12.2008 के अनुसार प्रति माह। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक बार राज्य सरकार और एस. पी. विश्वविद्यालय द्वारा दिनांकित 31.12.2008 योजना को अपनाया गया था और उक्त विश्वविद्यालय को केंद्रीय [2022] 4 एस. सी. आर. मिलना शुरू हो गया था।

वित्तीय सहायता और यहां तक कि इसे यू. जी. सी. अधिनियम, 1956 की धारा 12 (बी) के अनुसार वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले राज्य विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल किया गया है, इसके बाद यह राज्य और/या विश्वविद्यालय के लिए यू. जी. सी. विनियमों का पालन नहीं करने और उपाध्यक्ष की नियुक्ति जारी रखने के लिए खुला नहीं होगा।

कुलाधिपति अवैध रूप से और यू. जी. सी. विनियम, 2010 (अब यू. जी. सी. विनियम, 2018) के प्रावधानों के विपरीत हैं।

3.7 याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सैयद ने आगे कहा कि यू. जी. सी. विनियम, 2010 /

2018 केंद्रीय कानून हैं और इसलिए, राज्य और/या राज्य विश्वविद्यालय केंद्रीय कानून और यू. जी. सी. विनियमों, 2010/2018 द्वारा बाध्य हैं, 'शिक्षा' विषय संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है। अन्नामलाई विश्वविद्यालय के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा रखा गया है

पंजीयक बनाम सरकार के सचिव, सूचना और पर्यटन विभाग और अन्य, (2009) 4 एस. सी. सी. 590 और कल्याणी मथिवानन

बनाम। के. वी. जयराज और अन्य, (2015) 6 एस. सी. सी. 363। 3.8 याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सैयद ने कहा है कि विश्वविद्यालय में कुलपति का पद एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित पद है। कुलपतियों का पद हो सकता है

विश्वविद्यालय के कुलपति और सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को कुलपति के रूप में नियुक्त करना होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वैधानिक नियमों और विनियमों के विपरीत कुलपति के रूप में कोई भी नियुक्ति आवश्यक है। यथास्थिति वारंट जारी करना। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कुलपति, जिनके पास अपेक्षित योग्यता नहीं है और जो पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं और/या जिन्हें कानूनी रूप से गठित नहीं की गई खोज समिति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऐसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक पद पर नहीं रह सकते हैं।

3.9 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान रिट याचिका को अनुमति दी जाए और याचिका में अनुरोध के अनुसार यथास्थिति वारंट जारी किया जाए।

4. यू. जी. सी. प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री मनोज रंजन सिन्हा ने इस प्रकार का समर्थन किया है

याचिकाकर्ता। यह प्रस्तुत किया जाता है कि गम्भीरदन के गढ़वी बनाम के रूप में नियुक्ति के लिए एक खोज समिति में।

4.1 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि खंड 7.3 के अनुसार भी। 0 यू. जी. सी. विनियमों के अनुसार, खोज सह चयन समिति के सदस्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकते हैं। यह आगे प्रावधान करता है कि खोज समिति का एक सदस्य होगा राज्य, निजी और मानद विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के चयन के लिए यू. जी. सी. के अध्यक्ष द्वारा नामित। कि यू. जी. सी. विनियमों के अनुसार, आगंतुक/कुलाधिपति खोज सह चयन समिति द्वारा अनुशंसित नामों के पैनल में से कुलपति की नियुक्ति करेंगे। यह तर्क दिया जाता है कि एक केंद्रीय कानून होने के नाते सभी राज्य, निजी और मानद विश्वविद्यालय यू. जी. सी. विनियमों और समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों से बंधे हैं।

5. श्री विनय नवारे ने वर्तमान याचिका का विरोध किया है।

प्रतिवादी संख्या 2-एस. पी. विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता।

5.1 प्रतिवादी संख्या 2-एस. पी. विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विनय नवारे ने जोरदार तरीके से प्रस्तुत किया है

कि मुकदमे के पहले दौर में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने रिट याचिका को खारिज कर दिया और प्रत्यर्थी संख्या 4 की एस. पी. विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्ति में हस्तक्षेप नहीं किया और इसके खिलाफ एसएलपी को इस अदालत ने खारिज कर दिया था। इसलिए, याचिकाकर्ता के लिए दूसरे कार्यकाल के लिए कुलाधिपति के रूप में प्रत्यर्थी संख्या 4 की नियुक्ति को फिर से चुनौती देने का अधिकार नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यू. जी. सी. विनियम, 2010 और उसके बाद के विनियम, 2018 को राज्य सरकार द्वारा अपनाया नहीं गया है और इसलिए, यू. जी. सी. विनियम राज्य और/या विश्वविद्यालयों के लिए बाध्यकारी नहीं हैं।

वर्तमान मामला एसपी विश्वविद्यालय। 5.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 4 की नियुक्ति एस. पी. यू. अधिनियम, 1955 के तहत नियंत्रित होती है और खोज समिति का गठन किया गया था

एस. पी. यू. अधिनियम के तहत राज्य सरकार। कि इस प्रकार की धारा 10

उक्त अधिनियम, कुलपति के पद के लिए किसी विशिष्ट पात्रता मानदंड/न्यूनतम पात्रता मानदंड का प्रावधान नहीं करता है, इसलिए, खोज समिति ने स्वयं पात्रता मानदंड निर्धारित किए हैं। कि प्रत्यर्थी संख्या 4 का चयन करने के बाद और खोज समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर, प्रत्यर्थी संख्या 4 की नियुक्ति की गई है।

5.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी वैधानिक उल्लंघन के अभाव में,

प्रतिवादी संख्या 4 की नियुक्ति एस. पी. यू. अधिनियम, 1955 के अनुसार की गई है और इसलिए कोई यथास्थिति वारंट जारी नहीं किया जाएगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पहले कार्यकाल में प्रतिवादी संख्या 4 की नियुक्ति को चुनौती देते हुए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने यथास्थिति वारंट जारी करने से ठीक ही इनकार कर दिया। इसलिए, दूसरे कार्यकाल के लिए भी उपकुलपति के रूप में प्रतिवादी संख्या 4 की नियुक्ति के संबंध में, कोई यथास्थिति का आदेश नहीं है।

वारंट जारी किया जा सकता है। 5.4 प्रतिवादी संख्या 2-एस. पी. विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नवारे द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि

अन्यथा याचिकाकर्ता का कोई अधिकार नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय का एक पूर्व कर्मचारी है और उसे विश्वविद्यालय के खिलाफ दुर्भावना है और इसलिए, वर्तमान रिट याचिका को कुलपति की नियुक्ति को चुनौती देने के लिए प्राथमिकता दी गई है। यह प्रार्थना की जाती है कि ऐसे व्यक्ति के कहने पर रिट याचिका पर विचार न किया जाए।

6. प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री गौरव अग्रवाल ने श्री नवारे द्वारा की गई दलीलों को स्वीकार करते हुए आगे कहा है कि जहां तक दूसरे कार्यकाल के लिए कुलपति के रूप में प्रत्यर्थी संख्या 4 की नियुक्ति का संबंध है, यू. जी. सी. विनियम, 2010 लागू नहीं हैं क्योंकि यू. जी. सी. विनियम, 2010 को यू. जी. सी. विनियम, 2018 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

पैरा 24 में मुकदमे के पहले दौर में, वह राज्य के विधान में ऐसे किसी संशोधन को संतुष्ट करने और/या इंगित करने की स्थिति में नहीं है। 8. हमने संबंधित पक्षों की ओर से विद्वान वकील को विस्तार से उपस्थित होते हुए सुना है।

9. के अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस रिट याचिका के माध्यम से

भारत के संविधान में, याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 4 की उप के रूप में नियुक्ति को चुनौती देते हुए यथास्थिति वारंट के लिए अनुरोध किया है। एस. पी. विश्वविद्यालय के कुलाधिपति-- उत्तरदाता सं. 2। इस न्यायालय द्वारा गम्भीरदन के गढ़वी बनाम के मामले में यथास्थिति वारंट की एक रिट पर विचार किया गया है।

गुजरात राज्य और ओ. आर. एस.

[एम. आर. शाह, जे.]

राजेश अवस्थी बनाम नंद लाल जैसवाल और अन्य। , (2013) 1 एससीसी 501। पैरा 19 में, इसे निम्नानुसार मनाया और अभिनिर्धारित किया गया हैः -

" 19. नियुक्ति होने पर एक रिट ऑफ क्वो वारंट होगा।

वैधानिक प्रावधानों के विपरीत। मोर मॉडर्न में यह न्यायालय

कॉप। ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड बनाम सरकार. हरियाणा का [(2002) 6

एस. सी. सी. 269] ने अभिनिर्धारित किया कि यथास्थिति वारंट की एक रिट जारी की जा सकती है जब नियुक्ति वैधानिक प्रावधानों के विपरीत है। बी. श्रीनिवास रेड्डी [(2006) 11 एस. सी. सी. 731 (2): (2007) 1 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 548 (2)],

इस न्यायालय ने इस कानूनी स्थिति को दोहराया है कि उच्च न्यायालय यथास्थिति वारंट जारी करने के लिए एक तक सीमित है

नियुक्ति वैधानिक नियमों के विपरीत है। 9.1 सेवानिवृत्त के मामले में। आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल एसोसिएशन

और ओआरएस। बनाम भारत संघ और अन्य। , (2006) 11 एस. सी. सी. 731, इस न्यायालय द्वारा यह देखा गया है कि यथास्थिति के सख्त नियमों में कुछ हद तक ढील दी गई है। उक्त निर्णय में आगे यह देखा गया है कि मोटे तौर पर कहा गया है कि यथास्थिति वारंट कार्यवाही एक न्यायिक उपाय प्रदान करती है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति, जिसके पास एक स्वतंत्र मूल सार्वजनिक पद या मताधिकार या स्वतंत्रता है, से यह दिखाने के लिए कहा जाता है कि वह उक्त पद, मताधिकार या स्वतंत्रता को किस अधिकार से धारण करता है, ताकि उसके लिए उसका अधिकार विधिवत निर्धारित किया जा सके, और यदि निष्कर्ष यह है कि पद के धारक का कोई अधिकार नहीं है, तो उसे न्यायिक आदेश द्वारा उस पद से बेदखल कर दिया जाएगा। यह आगे देखा गया है कि दूसरे शब्दों में, क्वो वारंट की प्रक्रिया न्यायपालिका को कार्यपालिका को कानून के खिलाफ सार्वजनिक पद पर नियुक्तियां करने से रोकने और नागरिकों को सार्वजनिक पद से वंचित होने से बचाने के लिए एक हथियार देती है, जिसके लिए उनका अधिकार है। ये कार्यवाहियाँ जनता को सार्वजनिक पद हड़पने वालों से भी बचाती हैं। यह आगे देखा जाता है

कि इस प्रकार यह देखा जाएगा कि इससे पहले कि कोई व्यक्ति प्रभावी रूप से यथास्थिति वारंट का दावा कर सके, उसे अदालत को संतुष्ट करना होगा कि विचाराधीन कार्यालय है

एक सार्वजनिक पद और कानूनी अधिकार के बिना एक हड़पने वाले द्वारा आयोजित किया जाता है, और यह अनिवार्य रूप से एक जांच की ओर ले जाएगा, कि क्या कथित हड़पने वाले की नियुक्ति कानून के अनुसार की गई है या नहीं। इस प्रकार, निर्णयों के एक समूह में निर्धारित कानून के अनुसार, यथास्थिति वारंट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सीमित है, जो [2022] 4 एस. सी. आर. हो सकता है।

केवल तभी जारी किया जाएगा जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण कर रहा हो और ऐसे पद पर नियुक्त होने के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता हो या जब नियुक्ति वैधानिक नियमों के विपरीत हो। यथास्थिति वारंट जारी करते समय न्यायालय की अधिकारिता पर उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका में तथ्यात्मक और कानूनी विवाद पर विचार करने की आवश्यकता है।

10. प्रत्यर्थी संख्या 4 कुलपतिक पद पर छथि। द.

विश्वविद्यालयमे कुलपतिक पदकेँ सार्वजनिक पद कहल जा सकैत अछि। इसे लेकर कोई विवाद नहीं हो सकता। यह किसी का मामला नहीं है कि कुलपति का पद धारण करना सार्वजनिक पद धारण करना नहीं कहा जा सकता है।

11. अब इस न्यायालय के विचार के लिए अगला प्रश्न यह है कि क्या प्रत्यर्थी संख्या 4 की उप-न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की गई है।

प्रत्यर्थी संख्या 4 कुलपति के पद के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करता है 11.1 उपरोक्त मुद्दों की जांच करते समय प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियमित यू. जी. सी. विनियम, 2010 के प्रासंगिक प्रावधान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 26 की उप-धारा (1) के खंड (ई) और (जी) और एस. पी. यू. के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत

अधिनियम, 1955 का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

"आयोग के कार्यों" के साथ, जबकि धारा 14 "आयोग की सिफारिशों का पालन करने में विश्वविद्यालयों की विफलता के परिणाम" की बात करती है। धारा 26 "विनियम बनाने की शक्ति" से संबंधित है। धारा 28 के अनुसार यू. जी. सी. अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों और विनियमों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना आवश्यक है और जब दोनों सदन सहमत हो जाते हैं तो नियमों और विनियमों को संसद द्वारा किए गए संशोधन के साथ प्रभावी किया जा सकता है। इसलिए, धारा 26 के तहत शक्तियों के प्रयोग में अधिनियमित किसी भी विनियमन को अधीनस्थ विधान कहा जा सकता है। 11.3 इससे संबद्ध विश्वविद्यालयों और संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति और करियर की उन्नति के लिए, यू. जी. सी. ने विनियमन द्वारा दिनांकित किया

04.04.2000 , विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (नियुक्ति और कैरियर की उन्नति के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता) का अधिनियमन GAMVIRDAN K GADHVI v.

इससे संबद्ध विश्वविद्यालयों और संस्थानों में शिक्षकों के लिए) विनियम, 2000। हालाँकि, 2000 के उक्त विनियम में, "प्रो-चांसलर" या "वाइस चांसलर" के पद के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई थी।

इसके बाद, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली ने पत्र द्वारा

सं. 1-32/2006-U. II/U. I (i) दिनांक 31-12-2008 ने सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन के बाद विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और समकक्ष संवर्गों के वेतन में संशोधन की योजना से अवगत कराया। उक्त पत्र के माध्यम से, भारत सरकार ने निर्देश दिया कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों के संबंध में केवल तीन पद होंगे, अर्थात् सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और

प्रोफेसर। उक्त पत्र में शिक्षकों और सहायक प्रोफेसरों/एसोसिएट प्रोफेसरों के पद सहित समकक्ष पदों के लिए संशोधित वेतनमान, सेवा शर्तों और कैरियर उन्नति योजना में संशोधन किया गया है।

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रोफेसरों को सूचित किया गया था। वेतनमान इसमें उप-कुलपति/कुलपति का भी उल्लेख किया गया था। यह सूचित किया गया कि उक्त योजना का विस्तार विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों तक किया जा सकता है जो इस योजना के अंतर्गत आते हैं।

राज्य विधानमंडल की परिधि, बशर्ते राज्य सरकारें नियमों और शर्तों के अधीन योजना को अपनाना और लागू करना चाहती हों।

उसमें उल्लेख किया गया है। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए उपरोक्त पत्र संख्या 1-32/2006-U. II/U. I (i), दिनांक 31-12-2008 को ध्यान में रखते हुए और यू. जी. सी. अधिनियम, 1956 की धारा 26 की उप-धारा (1) के खंड (ई) और (जी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यू. जी. सी. ने यू. जी. सी. विनियम, 2000 के स्थान पर विनियम, 2010 को अधिनियमित किया। यह भारत के राजपत्र में 28-6-2010 पर प्रकाशित हुआ था और तत्काल प्रभाव से लागू हुआ था।

11.3. 1 विनियम 7.3। 0 उपकुलपति के पद से संबंधित है जो निम्नानुसार हैः -

" 7.3. 0 . कुलपति। — (i) उच्चतम स्तर की क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता और संस्थागत प्रतिबद्धता वाले व्यक्तियों को कुलपतियों के रूप में नियुक्त किया जाना है। कुलपति होंगे नियुक्त व्यक्ति को एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद होना चाहिए, जिसके पास विश्वविद्यालय प्रणाली में प्रोफेसर के रूप में कम से कम दस साल का अनुभव हो या किसी प्रतिष्ठित अनुसंधान और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में समकक्ष पद पर दस साल का अनुभव हो।

((ii) कुलपतियों का चयन उचित तरीके से किया जाना चाहिए। सार्वजनिक अधिसूचना या नामांकन या प्रतिभा खोज प्रक्रिया या संयोजन के माध्यम से एक खोज समिति द्वारा 3 से 5 नामों के पैनल की पहचान। उपरोक्त खोज के सदस्य

समिति उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति होगी और किसी भी तरह से समिति से जुड़ी नहीं होगी। संबंधित विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालय। पैनल तैयार करते समय, खोज समिति को अकादमिक उत्कृष्टता, देश और विदेश में उच्च शिक्षा प्रणाली के संपर्क में आने और शैक्षणिक और शिक्षा में पर्याप्त अनुभव को उचित महत्व देना चाहिए।

आगंतुक/कुलाधिपति को प्रस्तुत किए जाने वाले पैनल के साथ लिखित रूप में प्रशासनिक शासन दिया जाना। राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के संबंध में निम्नलिखित संविधान होगा -

खोज समितिः

(क) आगंतुक/कुलाधिपति का नामित व्यक्ति, जो होना चाहिए

समिति के अध्यक्ष।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष का नामित व्यक्ति।

(ग) सिंडिकेट/कार्यकारी परिषद/बोर्ड ऑफ विश्वविद्यालय का प्रबंधन।

(iii) आगंतुक/कुलाधिपति खोज समिति द्वारा अनुशंसित नामों के पैनल में से कुलपतियों की नियुक्ति करेगा। ((iv) कुलपति की सेवा की शर्तें इस प्रकार होंगी -

संबंधित विश्वविद्यालयों के कानूनों में निर्धारित

इन नियमों का पालन करना।

(v) कुलपति का कार्यकाल संबंधित पदधारी की सेवा अवधि का हिस्सा होगा जिससे वह

सेवा संबंधी सभी लाभों के लिए पात्र "।

11.3. 2 7. 4 नियम। 0 यह आदेश देता है कि विश्वविद्यालय/राज्य सरकारें इन विनियमों को अपनाने के छह महीने के भीतर संबंधित विश्वविद्यालयों के प्रासंगिक अधिनियमों/कानूनों में संशोधन या संशोधन करेंगी।

11.3. 3 इस प्रकार, यू. जी. सी. विनियम, 2010, अन्य बातों के साथ-साथ विनियम 7.3 में निर्धारित करता है। 0 कि एक व्यक्ति के पास दस साल का शिक्षण कार्य होगा

विश्वविद्यालय प्रणाली में प्रोफेसर के रूप में अनुभव। यह एक खोज समिति के गठन का भी प्रावधान करता है जिसमें आगंतुक/कुलाधिपति का एक नामित व्यक्ति, यू. जी. सी. के अध्यक्ष का एक नामित व्यक्ति,

विश्वविद्यालय के सिंडिकेट/कार्यकारी परिषद का एक नामित व्यक्ति और खोज समिति को सफल उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करनी होती है।

गम्भीरदन के. गढ़वी बनाम। गुजरात राज्य और ओ. आर. एस.

[एम. आर. शाह, जे.]

कुलपतियों को 5,000/- रुपये प्रति माह के विशेष भत्ते के साथ। उक्त योजना के पैरा 8 (पी) (वी) में प्रावधान है कि इसका विस्तार राज्य विधानमंडल के दायरे में आने वाले विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों तक किया गया है बशर्ते कि राज्य सरकारें कुछ शर्तों के साथ योजना को अपनाना और लागू करना चाहती हों, अन्य बातों के साथ-साथ, रखरखाव व्यय के 80 प्रतिशत तक केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता और शेष 20 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा। यह आगे प्रावधान करता है कि योजना को लागू करने के लिए केंद्रीय सहायता का भुगतान इस शर्त के अधीन है कि यू. जी. सी. द्वारा विनियमों और अन्य दिशानिर्देशों के माध्यम से निर्धारित की जाने वाली सभी शर्तों के साथ वेतनमान के संशोधन की पूरी योजना को राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों द्वारा बिना किसी संशोधन के लागू किया जाएगा। वर्तमान मामले में, गुजरात राज्य ने उक्त प्रस्ताव में उल्लिखित शर्तों के अधीन 01.01.2006 से प्रभावी 11.11.2009 दिनांकित प्रस्ताव द्वारा उक्त योजना को अपनाया है। यहां तक कि उक्त प्रस्ताव में, शर्त No.13 प्रदान करती है कि राज्य सरकार प्रकाशित करेगी समय-समय पर प्रकाशित यू. जी. सी. के निर्देशों के अनुसार शैक्षिक योग्यता और गुणवत्ता मानदंड, शिक्षण कार्य दिवस, मानदंड, निर्देश, संकल्पों को लागू करना होगा। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि एस. पी. विश्वविद्यालय इस योजना के तहत केंद्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा है

और यह केंद्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले राज्य विश्वविद्यालयों में शामिल है। यू. जी. सी. अधिनियम, 1956 की धारा 12 (बी) के अनुसार सहायता। इसलिए, यू. जी. सी. योजना को अपनाने और उसे लागू करने और रखरखाव व्यय के 80 प्रतिशत तक केंद्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बाद,

राज्य सरकार और एस. पी. विश्वविद्यालय यू. जी. सी. विनियम, 2010 से बाध्य हैं। यू. जी. सी. विनियम, 2010 को यू. जी. सी. विनियम, 2018 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। हालांकि, कुलपति के पद के लिए पात्रता मानदंड और खोज समिति का गठन

कुलपतिक नियुक्ति समान रहैत अछि। इसलिए, गुजरात राज्य और एस. पी. विश्वविद्यालय सहित इसके तहत आने वाले विश्वविद्यालय यू. जी. सी. विनियम, 2010 और यू. जी. सी. विनियम, 2018 का पालन करने के लिए बाध्य हैं।

12. उत्तरदाता संख्या 4 को एस. पी. यू. अधिनियम, 1955 के तहत एस. पी. विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 10 कुलपति के पद से संबंधित है जो निम्नानुसार हैः

" [10. (1) कुलपतिक नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित तीन व्यक्तियों में से की जाएगी जिनकी सिफारिश की गई है -

उप-धारा (3) के तहत इस उद्देश्य के लिए नियुक्त समिति द्वारा उप-धारा (2)।

(2) (क) उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए कुलाधिपति एक समिति नियुक्त करेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:

(i) दो सदस्य (जो विश्वविद्यालय या किसी संबद्ध कॉलेज या मान्यता प्राप्त संस्थान से जुड़े व्यक्ति नहीं हैं) जिनमें से एक सिंडिकेट और अकादमिक द्वारा क़ानून द्वारा निर्धारित तरीके से नामित व्यक्ति होगा।

परिषद संयुक्त रूप से और दूसरा गुजरात राज्य में कानून द्वारा स्थापित सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति द्वारा संविधि द्वारा निर्धारित तरीके से नामित व्यक्ति होगा। ((ii) कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य।

(ख) कुलाधिपति तीन सदस्यों में से एक की नियुक्ति करेगा।

समिति के अध्यक्ष के रूप में।

(3) इस प्रकार नियुक्त समिति, ऐसे समय के भीतर और उस तरीके से जिसे क़ानून द्वारा निर्धारित किया जाए, तीन व्यक्तियों का चयन करेगी जिन्हें वह कुलपति नियुक्त होने के लिए उचित समझती है और

राज्य सरकार को व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करेगा।

इस प्रकार ऐसे अन्य विवरणों के साथ चुना जाता है जो क़ानूनों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

(4) कुलपति तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह केवल तीन वर्ष की आगे की अवधि के लिए उस पद पर नियुक्त होने का पात्र होगा।

(5) कुलपति को दिए जाने वाले परिलब्धियाँ और वे नियम और शर्तें जिनके अधीन वह पद धारण करेगा, 1 [राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा]: बशर्ते कि ऐसे परिलब्धियां या ऐसे नियम और शर्तें, उस पद के धारक की अवधि की मुद्रा के दौरान,

उसकी सहमति के बिना उसके नुकसान के लिए बदल गया। (6) (क) कुलपति की छुट्टी या अनुपस्थिति के दौरान, या

(ख) कुलपति के पद में स्थायी रिक्ति की स्थिति में, जब तक कि उस पद के लिए उप-धारा (1) के तहत नियुक्ति नहीं की जाती है, गम्भीरदन के गढ़वी बनाम।

गुजरात राज्य और ओ. आर. एस.

[एम. आर. शाह, जे.]

उपकुलपति, और उपकुलपति की अनुपस्थिति में, उस उद्देश्य के लिए 3 [राज्य सरकार] द्वारा नामित डीन में से एक, उपकुलपति के पद के वर्तमान कर्तव्यों को निभाएगा।

कुलाधिपति "।

12.1 अधिनियम, 1955 की धारा 10 के अनुसार खोज समिति में दो सदस्य होंगे (वे व्यक्ति जो इस अधिनियम से जुड़े नहीं हैं)। प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय या किसी संबद्ध कॉलेज या मान्यता प्राप्त संस्थान के साथ

संस्थान) जिनमें से एक सिंडिकेट और अकादमिक परिषद द्वारा संयुक्त रूप से क़ानून द्वारा निर्धारित तरीके से नामित व्यक्ति होगा और दूसरा कुलपतियों द्वारा स्थापित सभी विश्वविद्यालयों के क़ानून द्वारा निर्धारित तरीके से नामित व्यक्ति होगा।

गुजरात राज्य में कानून और कुलाधिपति द्वारा नामित किया जाने वाला तीसरा सदस्य।

एस. पी. यू. अधिनियम की धारा 10 कोई योग्यता प्रदान नहीं करती है।

जो भी कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए हो। यहां तक कि निर्धारित किए जाने वाले पात्रता मानदंड भी खोज समिति पर छोड़ दिए जाते हैं। वहाँ

समिति में आगंतुक/कुलाधिपति का एक नामित व्यक्ति, यू. जी. सी. के अध्यक्ष का एक नामित व्यक्ति, विश्वविद्यालय के सिंडिकेट/कार्यकारी परिषद का एक नामित व्यक्ति शामिल होता है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 4 ने यू. जी. सी. विनियमों, 2010/2018 के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं किया/नहीं किया। उनके पास विश्वविद्यालय प्रणाली में प्रोफेसर के रूप में शिक्षण कार्य का दस साल का अनुभव था/नहीं है। इसके अलावा, यू. जी. सी. विनियमों, 2010/2018 के अनुसार गठित कानूनी रूप से गठित खोज समिति द्वारा उनके नाम की सिफारिश नहीं की गई थी। इसके अलावा, खोज समिति ने यू. जी. सी. विनियमों, 2010/2018 में निर्धारित पात्रता मानदंडों को कम करके कुलपति पद के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए हैं। 12.2 इस प्रकार, एस. पी. यू. अधिनियम, 1955 के प्रावधान/राज्य विधान के तहत प्रावधान यू. जी. सी. विनियम, 2010 के बिल्कुल विपरीत हैं।

2018 , जो, जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, राज्य के लिए बाध्यकारी हैं सरकार और उसके अधीन विश्वविद्यालय। यहाँ तक कि राज्य सरकार ने भी राज्य के कानून में संशोधन करने की जहमत नहीं उठाई है-जो [2022] 4 एस. सी. आर. के बराबर है।

यू. जी. सी. विनियम, 2010/2018 और विश्वविद्यालयों में नियुक्ति जारी रखी है जो यू. जी. सी. विनियमों का उल्लंघन करती है।

13. इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि वर्तमान मामले में

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू. जी. सी.) ने गुजरात के महामहिम राज्यपाल, जो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं, को संबोधित संदेश के माध्यम से गुजरात के महामहिम राज्यपाल का ध्यान आकर्षित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य में कुलपतियों की सभी नियुक्तियां यू. जी. सी. के विनियमों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार की गई हैं। पत्र /

दिनांकित संचार 11.08.2014 निम्नानुसार हैः -

" विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

प्रो. डॉ. राजपाल एस. संधू

सचिव

D.O.No.F.1-1/2014 (सचिव) 11 अगस्त, 2014

शुरू में ही कृपया मुझे अतिक्रमण के लिए माफी मांगने की अनुमति दें।

आपका कीमती समय। लेकिन यह उस विषय की आलोचना है जो

इसने मुझे इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए मजबूर किया। हमारी विश्वविद्यालय प्रणाली में कुलपतियों की नियुक्ति

व्यापक आलोचना का विषय बन गया है। हमें दूरदर्शी की जरूरत है।

आज के दौर में उच्च शिक्षा को उचित दिशा देने के लिए नेतृत्व प्रतिस्पर्धी दुनिया। यह तभी संभव है जब हमारे पास लोग हों।

वाइस की स्थिति में उच्चतम क्षमता और अखंडता

कुलाधिपति। इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

"न्यूनतम योग्यताएँ" शीर्षक से एक विनियम लाया था विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति

और महाविद्यालयों और मानकों के रखरखाव के लिए उपाय

उच्च शिक्षा, 2010। यू. जी. सी. ने न्यूनतम निर्धारित किया है

इसमें कुलपति की नियुक्ति के लिए योग्यताएँ विनियमन, जो निम्नानुसार हैः

" उच्चतम स्तर की योग्यता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता वाले व्यक्ति

और संस्थागत प्रतिबद्धता को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाना है।

कुलपतियों। कुलपति की नियुक्ति की जानी चाहिए।

कम से कम दस साल के साथ एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद बनें

विश्वविद्यालय प्रणाली में प्रोफेसर के रूप में अनुभव या दस

एक प्रतिष्ठित में एक समकक्ष स्थिति में वर्षों का अनुभव अनुसंधान और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन। अम्बिरन के. गढ़वी बनाम।

गुजरात राज्य और ओ. आर. एस.

[एम. आर. शाह, जे.]

इसमें शायद ही किसी उल्लेख की आवश्यकता है कि द में प्रकाशित अधिसूचनाएँ

भारत का राजपत्र अनिवार्य है। तो क्या मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूँ

महामहिम, यह सुनिश्चित करने के लिए अपने अच्छे कार्यालयों का उपयोग करें कि सभी

आपके राज्य में कुलपतियों की नियुक्तियाँ की जाती हैं

उपरोक्त में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार

मुझे विश्वास है कि इस संबंध में आपका मार्गदर्शन और समर्थन मिलेगा। उच्च शिक्षा के शासन में एक बड़ा बदलाव लाना

देश को।

आपकी वफादारी से

जसपाल S.Sandhu

गुजरात के माननीय राज्यपाल, राजभवन गांधीनगर 382 020 गुजरात "

13.1 कि उसके बाद गुजरात के राज्यपाल-कुलाधिपति

विश्वविद्यालयों ने प्रधान सचिव को सूचित किया

गुजरात का शासन दिनांक 30.08.2014 के संचार के माध्यम से और

उन्हें सूचित किया और उनसे यू. जी. सी. के संचार पर ध्यान देने का अनुरोध किया

11.08.2014 और सरकारी स्तर पर आवश्यक कदम उठाएँ।

प्रधान सचिव द्वारा जारी दिनांक 30.08.2014 का संचारण

महामहिम-गुजरात के राज्यपाल का पाठ इस प्रकार हैः -

सचिव का कार्यालय

गुजरात के राज्यपाल

राजभवन गांधीनगर-382020।

तारीखः 30 ए. यू. जी. 2014

महत्वपूर्णः

के प्रधान सचिव गुजरात सरकार

शिक्षा विभाग,

ब्लॉक संख्या 5,7 वीं मंजिल, न्यू सचिवालय, गांधीनगर

उपः कुलपतियों की नियुक्ति [2022] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संदर्भः सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान से एक संचार आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली दिनांक 11 अगस्त,

2014 .

साहब,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में, यह कहा गया है कि हाल ही में

हमें प्रो. से एक पत्र मिला है। (डॉ.) एस. एस. संधू, सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली

विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को पढ़ना।

इस बात पर जोर दिया गया है कि रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए आदेश

उपाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता कुलपतियों। माननीय। राज्यपाल से सभी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है

गुजरात में कुलपतियों की नियुक्ति की जाती है

यू. जी. सी. विनियम में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार। (तैयार होने के लिए संचार की प्रति इसके साथ संलग्न है।

संदर्भ)

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त प्रासंगिक संचार पर ध्यान दें।

और सरकारी स्तर पर आवश्यक कदम उठाएँ।

आदरपूर्वक,

आप

की ईमानदारी से,

एसडी /

(

अरविंद जोशी)

माननीय के प्रधान सचिव। राज्यपाल

13.2 महामहिम के कार्यालय से उपरोक्त स्पष्ट निर्देशों के बावजूद।

- गुजरात के राज्यपाल, जो सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज तक राज्य सरकार द्वारा राज्य के कानून में संशोधन नहीं किया गया है और उक्त राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद पर नियुक्तियां यू. जी. सी. के दिशानिर्देशों और विनियमों के बिल्कुल विपरीत की जा रही हैं। इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि 2017 के एस. सी. ए. No.18922 मुकदमे के पहले दौर में भी, जिसमें इसी याचिकाकर्ता ने वर्ष 2016 में एस. पी. यू. के कुलपति के रूप में इस प्रतिवादी संख्या 4 की नियुक्ति को चुनौती दी थी, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने राज्य सरकार के खिलाफ यू. जी. सी. विनियमों को नहीं अपनाने और राज्य के कानून में उचित संशोधन नहीं करने के खिलाफ कुछ टिप्पणियां कीं। प्रासंगिक टिप्पणियाँ

उच्च न्यायालय द्वारा पैरा 24 में निम्नानुसार किया गया हैः

- अम्बिरन के. गढ़वी बनाम। गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.]

" 24. यहां तक कि प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर छठे प्रत्यर्थी की नियुक्ति को बरकरार रखते हुए, यह अदालत इस तथ्य पर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती कि एस. पी. यू. की धारा 10

अधिनियम किसी भी योग्यता के लिए प्रावधान नहीं करता है कुलपति के पद पर नियुक्ति जो छोड़ देगी

कुलपति के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों के चयन के मामले में बहुत अधिक मनमानेपन की गुंजाइश है। यू. जी. सी. विनियम कुछ योग्यताएँ प्रदान करते हैं। हालाँकि, ये तब तक बाध्यकारी नहीं हैं जब तक कि राज्य के कानून में उचित संशोधन नहीं किया जाता है। यू. जी. सी. द्वारा

11 अगस्त, 2014 को उनके नाम किया गया संदेश

गुजरात के महामहिम राज्यपाल ने उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए अपने अच्छे पदों का उपयोग करने का अनुरोध किया है कि राज्य में कुलपतियों की सभी नियुक्तियां यू. जी. सी. विनियमों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार की जाएं, जो विनियम 7.3 के संदर्भ में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता प्रदान करते हैं। 0 यू. जी. सी. विनियम, 2010। इसके अनुसरण में, गुजरात के महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव ने 30 अगस्त 2014 को प्रधान सचिव को संबोधित किया।

गुजरात सरकार, उनसे उक्त महत्वपूर्ण संचार को नोट करने और सरकारी स्तर पर आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करती है। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह के संचार को नजरअंदाज कर दिया गया है और इसके अनुसार कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। इसलिए, यह सही समय है कि गुजरात राज्य यू. जी. सी. विनियमों को अपनाए और राज्य के कानून में उचित संशोधन करे ताकि किसी भी हेरफेर, मनमानेपन, भाई-भतीजावाद और पक्षपात के लिए कोई जगह न बचे।

यहां तक कि पैरा 24 में की गई उपरोक्त टिप्पणियों पर भी इस न्यायालय ने ध्यान दिया, जबकि 2018 के एस. एल. पी. (सी) No.21792 का निपटारा करते हुए उच्च न्यायालय की खंड पीठ का निर्णय निम्नानुसार थाःआगे बढ़ें।

13.3 इस प्रकार, यू. जी. सी. द्वारा दिनांकित संचार के बावजूद

8.2014 और उसके बाद, महामहिम-राज्यपाल उजारत द्वारा दिनांकित संचार और यहाँ तक कि उच्च न्यायालय की पीठ द्वारा अपने निर्णय में अनुच्छेद 24 में की गई टिप्पणियाँ और

2017 के एस. सी. ए. No.18922 में आर दिनांकित 05.07.2018, पुनः प्रस्तुत किया गया

इसके अलावा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज तक, राज्य सरकार द्वारा यू. जी. सी. विनियमों के अनुरूप राज्य के कानून में संशोधन करने के लिए कोई और कदम नहीं उठाए गए हैं, और राज्य और उसके तहत राज्यों ने उप [2022] 4 एस. सी. आर. की नियुक्तियां करना जारी रखा है।

कुलाधिपति यू. जी. सी. विनियमों के ठीक विपरीत हैं, जो यहाँ ऊपर देखे गए अनुसार बाध्यकारी हैं। 13.4 इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि एस. पी. यू. अधिनियम, 1955 की धारा 9 के अनुसार, गुजरात के महामहिम राज्यपाल एस. पी. यू. के कुलाधिपति हैं।

विश्वविद्यालय और वह अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रमुख और सीनेट का अध्यक्ष होगा। इसलिए, विश्वविद्यालय के प्रमुख के रूप में भी, उनकी सलाह विश्वविद्यालय के लिए बाध्यकारी थी/है और इसलिए, राज्य को विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए थे। सरकारी स्तर पर, जैसा कि दिनांक 30.08.2014 में अनुरोध किया गया है। यहां तक कि गुजरात के महामहिम राज्यपाल, जो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं, द्वारा किए गए अनुरोध को भी बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए था। राज्य को उचित रूप से सुधारात्मक उपाय करने चाहिए थे।

यू. जी. सी. विनियमों के अनुरूप राज्य के विधान में संशोधन करना।

15. इस प्रकार, हम पाते हैं कि प्रतिवादी संख्या 4 की नियुक्ति यू. जी. सी. विनियम, 2018 के विपरीत है। इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या 4 को एक खोज समिति द्वारा नियुक्त किया गया है, जिसका गठन यू. जी. सी. के अनुसार नहीं किया गया है। विनियम, 2018। इसके अलावा, प्रत्यर्थी संख्या 4 यू. जी. सी. विनियम, 2018 के अनुसार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, अर्थात् विश्वविद्यालय प्रणाली में प्रोफेसर के रूप में दस साल का शिक्षण कार्य अनुभव है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, योजना को अपनाकर और केंद्र सरकार से रखरखाव व्यय का 80 प्रतिशत स्वीकार करके और जब प्रत्यर्थी संख्या 4 का भुगतान किया जाता है तो एक निश्चित वेतन के साथ Rs.75,000/- का भुगतान किया जाता है।

5, 000/- प्रति माह का विशेष भत्ता, जो इसके अनुसार निर्धारित किया गया है।

2008 की योजना के अनुसार, राज्य और उसके तहत विश्वविद्यालय यू. जी. सी. विनियमों, 2018 सहित यू. जी. सी. विनियमों से बाध्य हैं। प्रत्यर्थी संख्या 4 की नियुक्ति खोज समिति द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार नहीं है, जो कि निम्नानुसार हैः -

उच्चतम स्तर की योग्यता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता वाले व्यक्ति

" 1 .

और संस्थागत प्रतिबद्धता। व्यक्तियों को सिद्ध होने के साथ एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद होना चाहिए

2 .

नेतृत्व के गुण किसी को भी संतुष्ट करेंगे

निम्नलिखितः

10 शिक्षण और अनुसंधान का वर्षों का अनुभव।

कुलपति या 15 वर्ष के शिक्षण/अनुसंधान के साथ किसी कॉलेज/संस्थान/अनुसंधान संगठन के निदेशक/प्राचार्य।

प्रशासन "।

वास्तव में, तत्काल मामले में, महामहिम-गुजरात के राज्यपाल

साथ ही उक्त राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति ने अपने प्रधान सचिव के माध्यम से निर्देश दिया था कि

सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली दिनांक 11 अगस्त, 2014 का अनुपालन किया जाए और उचित कदम उठाए जाएं। इस संबंध में लिया गया। हमने 30 अगस्त, 2014 के उपरोक्त पत्र का उल्लेख किया है। यू. जी. सी. के सचिव का 11 अगस्त, 2014 को गुजरात के महामहिम राज्यपाल को लिखा गया पत्र जिसमें नियमों के बारे में जानकारी दी गई है।

"विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उनके लिए उपाय" शीर्षक

उच्च शिक्षा में मानकों का रखरखाव, 2010 "भी उक्त पत्र में ऊपर निकाला गया है। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यू. जी. सी. ने कुलपतियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की है और इसलिए ऐसी नियुक्ति निम्न में होनी चाहिएः

यू. जी. सी. के उपर्युक्त विनियमों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार। यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी-गुजरात राज्य यू. जी. सी. से संचार पर ध्यान देने में विफल रहा है और इसके बजाय प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय ने उप [2022] 4 एस. सी. आर. की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करने के लिए खोज समिति की इच्छा पर छोड़ दिया है।

विश्वविद्यालय के कुलाधिपति। पात्रता मानदंड जब एक बार निर्धारित किया जाता है

यू. जी. सी. अपने विनियमों के तहत हमारे विचार में उन सभी विश्वविद्यालयों पर लागू होगा जो यू. जी. सी. द्वारा सहायता प्राप्त हैं और उक्त विनियमों से बाध्य हैं, भले ही उन्हें संबंधित विनियमों के तहत शामिल नहीं किया गया हो। संबंधित राज्यों के विश्वविद्यालय अधिनियम। इसलिए, जब प्रत्यर्थी संख्या 4 की नियुक्ति यू. जी. सी. विनियम, 2018 के विपरीत पाई जाती है और यू. जी. सी. विनियमों का वैधानिक बल होता है, तो हम

राय है कि यह यथास्थिति वारंट जारी करने और एस. पी. विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में प्रत्यर्थी संख्या 4 की नियुक्ति को रद्द करने और अलग करने के लिए एक उपयुक्त मामला है।

16. यह विवादित नहीं हो सकता कि यू. जी. सी. विनियम लागू किए गए हैं।

यू. जी. सी. द्वारा यू. जी. सी. अधिनियम, 1956 की धारा 26 (1) (ई) और 26 (1) (जी) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए। यू. जी. सी. अधिनियम के अनुसार भी उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम और विनियम को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। इसलिए, एक अधीनस्थ कानून होने के कारण, यू. जी. सी. विनियम बन जाते हैं

अधिनियम का हिस्सा। राज्य के विधान और केंद्रीय विधान के बीच किसी भी टकराव के मामले में, केंद्रीय विधान संविधान के अनुच्छेद 254 में प्रतिपादित तिरस्कार के नियम/सिद्धांत को लागू करके प्रबल होगा।

क्योंकि 'शिक्षा' विषय संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची (सूची III) में है। इसलिए, उपाध्यक्ष के रूप में कोई भी नियुक्ति

यू. जी. सी. विनियमों के प्रावधानों के विपरीत कुलाधिपति को वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला कहा जा सकता है। जैसी भी हो।

17. उपरोक्त चर्चा और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, उत्तरदाता संख्या 4 की एस. पी. विश्वविद्यालय के उपकुलपति के रूप में नियुक्ति, उत्तरदाता संख्या 2, यू. जी. सी. के विपरीत है।

प्रावधान, अर्थात् यू. जी. सी. विनियम, 2018। इसलिए हम वर्तमान रिट याचिका की अनुमति देते हैं और एस. पी. के कुलपति के रूप में प्रतिवादी संख्या 4 की नियुक्ति को रद्द करने और रद्द करने के लिए यथास्थिति वारंट जारी करते हैं।

विश्वविद्यालय। वर्तमान याचिका तदनुसार अनुमत है। 17.1 अलग होने से पहले हम उम्मीद और विश्वास कर सकते हैं कि अब बुद्धिमान सलाह प्रबल होगी और राज्य सरकार यू. जी. सी. विनियमों के अनुरूप राज्य के कानून में संशोधन करेगी, जो इस प्रकार था।

वर्ष 2014 में गुजरात के महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुशंसित और उसके बाद भी, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपने निर्णय और दिनांकित आदेश के पैरा 24 में टिप्पणियां की थीं।

05.07.2018 2017 के एस. सी. ए. No.18922 में, जिसमें उच्च न्यायालय ने कहा कि यह सही समय है कि राज्य सरकार यू. जी. सी. विनियम गम्भीरदन के. गढ़वी बनाम को अपनाए।

और राज्य के विधान में उचित संशोधन करता है ताकि राज्य और उसके तहत विश्वविद्यालयों में कुलपति के रूप में कोई नई नियुक्ति किए जाने से पहले किसी भी हेरफेर, मनमानेपन, भाई-भतीजावाद और पक्षपात के लिए कोई जगह न छोड़ी जाए। जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, पात्रता निर्धारित करना

मानदंड को खोज समिति की इच्छा पर नहीं छोड़ा जाएगा। यह मनमानेपन का कारण बन सकता है और किसी भी वैधानिक दिशानिर्देशों और/या प्रिस्क्रिप्शन के अभाव में विभिन्न खोज समितियां विभिन्न पात्रता मानदंड निर्धारित कर सकती हैं।

17.2 यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जहां तक विश्वविद्यालय का संबंध है, विश्वविद्यालय के कुलपति का पद एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। एक नेता और संस्थान के प्रमुख होने के नाते, विश्वविद्यालय के कुलपति को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। जबकि शैक्षणिक योग्यता, प्रशासनिक अनुभव, अनुसंधान साख और ट्रैक रिकॉर्ड को बुनियादी पात्रता आवश्यकताओं के रूप में माना जा सकता है, एक कुलपति के बड़े गुण वह होंगे जो एक सच्चे नेता और एक भावुक दूरदर्शी हों। एक कुलपति को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो विश्वविद्यालय के मामलों को नैतिक व्यवसाय के रूप में समझता है और संभालता है और विश्वविद्यालय के साथ-साथ उसमें छात्रों की बेहतरी के लिए अपने आचरण में शिथिलता बनाए रखता है। कुलपति को ऐसा होना चाहिए जो छात्रों को प्रेरित कर सके और विश्वविद्यालय प्रणाली में उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षकों के प्रवेश की गारंटी दे सके। एक कुलपति विश्वविद्यालय के कार्यकारी और शैक्षणिक शाखाओं के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है क्योंकि वह एक 'शिक्षक' और एक 'प्रशासक' दोनों का प्रमुख होता है।

हम आयोग की कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्टों का उल्लेख कर सकते हैं।

किसी विश्वविद्यालय के कुलपति के व्यक्तित्व और भूमिका के बारे में निम्नानुसारः

अ)

1949 के राधाकृष्णन आयोग ने कहा कि

मूल रूप से, भारतीय विश्वविद्यालय के कुलपतित्व को एक मानद पद के रूप में माना जाता था जिसे एक प्रमुख व्यक्ति द्वारा अपने खाली समय में भरा जाता था। लेकिन अब स्थिति बदल गई है, पूर्णकालिक नियुक्ति को सही ठहराने के लिए पर्याप्त काम है और विश्वविद्यालयों में पूर्णकालिक वेतन पाने वाले कुलपतियों का होना चाहिए। कुलपति के कर्तव्यों पर चर्चा करते हुए,

आयोग ने कहा कि एक कुलपति को विश्वविद्यालय और जनता के बीच मुख्य संपर्क होना चाहिए और विश्वविद्यालय की अंतरात्मा का रखवाला होना चाहिए, उदाहरण के रूप में उच्चतम मानक स्थापित करना और किसी भी प्रकार के अनुशासनहीनता और कदाचार से दृढ़ता से और तुरंत निपटना चाहिए। उसके पास [2022] 4 एस. सी. आर. होना चाहिए।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

कई लोगों का दृढ़ता से विरोध करने के लिए चरित्र की ताकत

दबाव के रूप। एक पूर्णकालिक कार्य होने के नाते, इसे करने के लिए एक असाधारण पुरुष (या महिला) की आवश्यकता होती है। द.

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डॉ. पी. बी. गजेंद्रगढ़कर की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शासन पर समिति की 1971 की रिपोर्ट उपरोक्त आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों और टिप्पणियों में यह भी कहा गया है कि एक उपाध्यक्ष का चयन

कुलाधिपति एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है जिसे करने के लिए विश्वविद्यालय के शासी निकाय को बुलाया जा सकता है। जबकि किसी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति उच्च हो सकता है

भारत संघ राज्य के गणमान्य व्यक्ति या राज्य के सार्वजनिक जीवन में एक प्रतिष्ठित विद्वान या प्रतिष्ठित व्यक्ति, कुलपति की नियुक्ति, विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण पदाधिकारी होने के नाते, सबसे अधिक रणनीतिक है। उचित शक्तियाँ विश्वविद्यालय में शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए अनुशासन और स्वस्थ वातावरण बनाए रखना कुलपतियों के पास विभिन्न कानूनों, अध्यादेशों या विनियमों द्वारा निहित अन्य सभी शक्तियों के साथ निहित है। आयोग ने यह भी कहा कि एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति

अधिकांश विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति एक पैनल से बनाया जाता है।

राज्य विश्वविद्यालयों के मामले में कुलाधिपति द्वारा और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के मामले में आगंतुक द्वारा कम से कम तीन नाम विश्वविद्यालय। नामों का पैनल अधिनियम/क़ानून के प्रावधानों के अनुसार गठित एक खोज समिति द्वारा तैयार किया जाता है। चूंकि एक समान प्रणाली होना मुश्किल था

सभी राज्यों में एक समिति बनाने के लिए, खोज समिति के गठन के विकल्प भी प्रदान किए गए थे

रिपोर्ट करें।

प्रोफेसर ए. ज्ञानम द्वारा नए शैक्षिक प्रबंधन की दिशा में यू. जी. सी. समिति की 1990 की रिपोर्ट (जिसे ज्ञानम समिति की रिपोर्ट, 1990 भी कहा जाता है) ने कुलपति की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि आई. आर. डी. ए. एन. के. गडवी बनाम.

गुजरात राज्य और ओ. आर. एस.

[एम. आर. शाह, जे.]

अकादमिक नेतृत्व और प्रशासन के लिए एक स्वभाव के साथ क्योंकि विश्वविद्यालयों को एक संवेदनशील, कुशल, निष्पक्ष और साहसी प्रशासक की आवश्यकता है। कुलपति को उच्च शिक्षा प्रणाली का एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद् होना चाहिए जिसमें उच्चतम स्तर की क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता और योग्यता होनी चाहिए।

आत्म-सम्मान।

रामलाल पारिख समिति ने 1993 में कहा कि विश्वविद्यालयों को उपराष्ट्रपति के रूप में प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित व्यक्तियों की आवश्यकता है

कुलपतियों और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वे हैं

गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता है, जिसके लिए यह पद योग्य है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी पुस्तिका में

शीर्षक उच्च शिक्षा में शासनः हस्तपुस्तिका

2019 में प्रकाशित कुलपतियों ने भारतीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की भूमिका को लिखा है

हाल के दिनों में एक सर्वोच्च महत्व प्राप्त किया। में

प्रोफेसर के शब्द। डी. पी. सिंह, तत्कालीन अध्यक्ष

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और के पूर्व निदेशक

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी):

" विश्वविद्यालयों के मुख्य कार्यकारी और शैक्षणिक प्रमुखों के रूप में,

कुलपतियों से कुशल होने की उम्मीद है और

के संदर्भ में प्रभावीः -

राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नीति का कार्यान्वयन

ए।

और कार्यक्रम,

बी।

राष्ट्रीय सुधारों के अनुरूप संस्थागत परिवर्तन

पैकेज,

गुणवत्ता और नवाचार में वृद्धि और उनकी

सी.

स्थिरता,

के समुदायों के साथ उत्पादक जुड़ाव

डी।

अपने विश्वविद्यालयों के भीतर से और

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र,

'अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र' का पोषण

ई.

और समाज और अर्थव्यवस्था के लिए वितरण का अनुवाद

आबन

'अच्छे' की अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना

शासन।

"[2022] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

' कुलपति को एक नेता के रूप में विकसित होना पड़ता है

विशेषताओं के साथ ऑर्केस्ट्रा की सिम्फनीः -

टीमों का विकास और टीम वर्क, निर्माण

ए।

सामूहिकता, मित्रता और बौद्धिक जुड़ाव द्वारा नाजुक रूप से बुनी गई साझेदारी और सहयोग;

एक रणनीति और कार्य योजना तैयार करना

बी।

मील के पत्थर और वितरण योग्य; स्वयं की प्राथमिक जवाबदेही सुनिश्चित करना और

सी।

उपर्युक्त विश्वविद्यालय शासी निकाय; और संस्थागत निगरानी और मूल्यांकन का संचालन करना

डी।

विश्वविद्यालय के प्रदर्शन पर निर्मित तंत्र

पारदर्शिता के सिद्धांत "।

शासन के सिद्धांत की पृष्ठभूमि में स्थिति पर चर्चा करना

जैसा कि चाणक्य ने अपने नीतिशास्त्र-'यथ राजा तथ प्रजा' में उद्धृत किया है, नैतिकता की भावना उस नेता के द्वार से शुरू होनी चाहिए जो इसका उपदेश देता है। इस प्रकार, विश्वविद्यालय स्वायत्त होते हैं और कुलाधिपति उच्च शिक्षा संस्थान का प्रमुख होता है। मानदंड के अनुसार, उसे एक प्रख्यात शिक्षाविद, उत्कृष्ट प्रशासक और उच्च नैतिक कद वाला व्यक्ति भी होना चाहिए। राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, ज्ञानम समिति और रामलाल पारिख समिति की उपरोक्त रिपोर्टों में समय-समय पर अति आवश्यक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता और प्रासंगिकता को बनाए रखने में कुलपतियों की भूमिका के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इसके अलावा, इन समितियों ने उक्त पद के लिए सही व्यक्ति की पहचान करने के लिए सुझाव और सिफारिशें भी की हैं।

इस स्तर पर, यह कहना सही है कि एक कुलपति विश्वविद्यालय की प्रणाली का राजा और विश्वविद्यालय की अंतरात्मा का रक्षक होता है।

इसके अलावा, हमारे विचार में, खोज/चयन समिति एक भूमिका निभाती है

कुलपतियों के चयन में महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका; फिर भी विश्वविद्यालयों में चयनित कुलपतियों का प्रदर्शन विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय में भिन्न होता है। इसलिए, खोज समिति के सदस्य, जिन्हें कुलपति की नियुक्ति के लिए नामों का चयन करने और सुझाव देने का विशेषाधिकार और सम्मान दिया जाता है, वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं

विश्वविद्यालय की उपलब्धि के लिए जिम्मेदार। विशेष रूप से और उच्चतर विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता और उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्धता GAMVIRDAN K GADHVI v.

[एम. आर. शाह, जे.]

सामान्य तौर पर शिक्षा प्रणाली, निश्चित रूप से ए को सही व्यक्ति चुनने में निर्णायक कारक हैं।

हम आश्वस्त हैं और उम्मीद करते हैं कि राज्य और विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नए सिरे से नियुक्ति करते समय

इसके तहत, राज्य और संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा उपरोक्त पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। इस आशा और विश्वास के साथ हम मामले बी को वहीं छोड़ देते हैं।

देविका गुजराल

लिखित

याचिका की अनुमति दी गई।

(सहायकः दीपक पंवार, एलसीआरए)